COURT FEE भारत दस रुपये TEN RUPEES | COURT FEE भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक /2001

R - 567-II/2001

मोतीलाल तनय जगई चर्मकार
निवासी ग्राम गायघाट तहसील
चुरहट जिला सीधी म.प्र.

...आवेदक

वि.

विशाले तनय जगई चर्मकार
निवासी ग्राम गायघाट तहसील
चुरहट जिला सीधी म.प्र.

... अनावेदक

श्री के.के. द्विवेदी अभि. द्वारा आज दि. 22/3/2001 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
22 ... 2001

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 106 / 98 - 99 / अपील में पारित आदेश दिनांक 20.12.2000 के विरूध म.प्र. भू.राजस्व संहित की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण .

22.3.2001 K. K. Dwivedi Advocate

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नांकित निवेदन है कि :-

1. यह कि, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2. यह कि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने समस्त साक्ष्य तथा मौके की स्थिति के अनुसार आवेदक का कब्जा दर्ज किये जाने का जो आदेश पारित किया था उसे निरस्त करने में अधीनस्थ अपील न्यायालय ने वैधानिक त्रुटि की है ।

3. यह कि, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के यह निष्कर्ष की संहिता की धारा 115, 116 के अनुसार तहसीलदार को कब्जा दर्ज करने की अधिकारिता नहीं है कहना पूर्णतः गलत है क्योंकि धारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 567–दो/2001 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२०–९–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 106/1998–99/अपील में पारित आदेश दिनांक 20.12.2000 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक एवं अनावेदक दोनों परस्पर भाई है। आवेदक एवं अनावेदक का एक संयुक्त परिवार था और विवादित आराजियात को वे संयुक्त रूप से कास्त करते रहे है । बाद में विवादित आराजियात का व्यवस्थापन अनावेदक के पक्ष में स्वीकार किया गया और वर्ष 1989 में आवेदक व अनावेदक का पारिवारिक विभाजन हो गया । विभाजन में प्राप्त विवादित भूमि	

पर आवेदक विभाजन तिथि से निरंतर काबिज है । तदनुसार हल्का पटवारी ने विवादित भूमि पर गिरदावरी के जरिये आवेदक का कब्जा लिखने का प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया और तहसीलदार ने जांच उपरांत आवेदक का कब्जा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 के अतंर्गत लिखने का आदेश किया । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी एवं पंचनामा के गवाहों का शपथ–पत्र पर बयान न लेना, संहिता के उपबन्धों के विरूद्ध विचारण न्यायालय द्वारा कार्यवाही करना तथा बोलता हुआ आदेश न पारित करने के आधार पर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया ।

5/ प्रकरण में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क पर विचार किया गया तथा मूल प्रकरणों का अवलोकन किया गया । आवेदक के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को गलत बताते हुये तहसीलदार के आदेश को कायम रखे जाने पर बल दिया है । वहीं अनावेदक के अधिवक्ता ने तर्क में बताया कि आवेदक द्वारा पक्ष समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये है, जैसे कि व्यवस्थापन के पूर्व विवादित भूमियों पर संयुक्त परिवार का कब्जा होना, बटवारा होना, इत्यादि के बारे में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये । अनावेदक के अधिवक्ता के अनुसार वर्ष 1984 से अनावेद विवादित भूमि पर लगातार कब्जा रहा है और आवेदक के पक्ष में पूर्व में इस पर कभी आपत्ति नहीं

किया गया । अनावेदक के अधिवक्ता ने तर्क में यह भी बताया कि संहिता की धारा 115 की कार्यवाही में नवीन प्रविष्टि का सृजन नहीं किया जा सकता। हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के पश्चात विधि का स्वरूप परिवर्तति नहीं होता यह सत्य है परन्तु गजट नोटिफिकेशन के जरिये प्रसारित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य था । इस संबंध में तर्क समर्थन में अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा 1995 रे0नि0 09, 1985 रे0नि0 16, 1975 रे0नि0 51, 1965 रे0नि0 114, 1988 रे0नि0 55 एवं 1984 रे0नि0 47 के न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख किया गया है । मूल प्रकरण के अवलोकन से अनावेदक के तर्क प्रमाणिक प्रतीत होते है । विवादित भूमि के व्यवस्थापन, संयुक्त परिवार के कब्जा और उभयपक्षों के मध्य आपसी बटवारा का कोई प्रमाण प्रकरण में उपलब्ध नहीं है । उपलब्ध साक्ष्यों से यह भी प्रमाणित है कि वर्ष 1984 से विवादित भूमि पर अनावेदक का कब्जा दर्ज होता रहा है । वर्ष 1984 से वर्ष 1997 के बीच कभी भी पटवारी द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा के बारे में तसहीलदार के समक्ष कोई सूची नहीं प्रस्तुत की गई और न ही इस बीच अनावेदक ने आवेदक के विरूद्ध कोई कार्यवाही किया गया है । यह भी सत्य है कि प्रकरण में विवाद को देखते हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले पटवारी एवं पंचनामा के गवाहों का शपथ पूर्वक बयान कराया जाना आवश्यक था जो तहसीलदार द्वारा नहीं कराया गया । तहसीलदार के न्यायालय में मूल आवेदन पत्र संहिता की धारा 121, 115 एवं 116 के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसका निराकरण तहसीलदार ने संहिता की

धारा 115 के तहत किया है । संहिता की धारा 115 में में नवीन प्रविष्टि का सृजन नहीं क़िया जा सकता, मात्र शुद्धीकरण की कार्यवाही तहहसीलदार स्वप्रेरणा से कर सकते है, किसी पक्षकार के आवेदन पर नहीं । आवेदन पर शुद्धीकरण की कार्यवाही संहिता की धारा 116 के तहत की जावेगी । वर्तमान प्रकरण में इसका पालन नहीं किया गया । ऐसे प्रकरणों में संहिता के धारा 115 का उपयोग करके विहित परिसीमा को बंधन मुक्त करते हुये किसी भी पक्षकार को लाभन्ति करना उचित नहीं। इस सन्दर्भ में न्यायदृष्टांत 1989 रे0नि0 4, 1984 रे0नि0 326 तथा 1986 रे0नि0 79 के उद्धकरण उल्लेखित है । तहसीलदार द्वारा इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान नहीं दिया गया। तहसीलदार द्वारा वर्ष 1996–97 तथा वर्ष 1997–98 दो वर्षों का आवेदक के पक्ष में कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया गया, जबकि आवेदक ने मात्र वर्ष 1996–97 का कब्जा दर्ज करने का आवेदन पत्र दिया था । इसके समर्थन में आवेदक ने कहा कि दोनों ही वर्षों को मिलाकर एक ही कृषि वर्ष बनलता है जो पूर्ण रूपेण गलत है । दोनों ही वर्षों में अलग–अलग कृषि वर्ष है । इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुये ही अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट ने तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है, जो की उचित है । इसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 20.12.2000 से की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2000 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है।